

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Mahalaxmi Private ITI,  
Rawan Teela G.T. Road, Aligarh  
Uttar Pradesh (PUO9900209)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि विकल कोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Ajeet Yadav Purvanchal Private ITI,  
Bhitari Ghazipur  
Uttar Pradesh (Pu09001648)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि बिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Major Ramvir Singh Private ITI Private ITI,  
Sector-2 Avas Vikas Colony, Shikohabad,  
Firozabad Uttar Pradesh (Pu09901278)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार


(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Foolmati Devi Private ITI,  
Panti Madhuban Mau  
Uttar Pradesh (Pu09901292)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

25/3/2021  
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Shri Bhagwan Private Iti Private ITI,  
Hawelia Jhunsi Prayagraj  
Uttar Pradesh (Pu09900220)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय




(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
RH Private ITI,  
Narasiya Lalganj Azamgarh  
Uttar Pradesh (PR09900740)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलुकोटी)  
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Shree Satiram Niji Iti Private ITI,  
Pradhanpur, Mau  
Uttar Pradesh (PR09002085)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चित्कोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Pranjal Private ITI  
Palchandrahan, Tadibadagaon, Ballia  
Uttar Pradesh (PR09900215)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**


महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय  


(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
R.N. Private ITI  
Nagraa Ballia  
Uttar Pradesh (PR09900641)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Thakur Vishnudev Singh Private ITI  
Karihraa Beruwawari, Ballia  
Uttar Pradesh (PR09900328)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार




(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिल्कोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Global Technical ITI  
Maunathbhanjan Mau  
Uttar Pradesh (PU09001932)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

(रवि चिल्कोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Kamla Private ITI  
Maglanichak Sohilapur, Ghazipur  
Uttar Pradesh (PU09900719)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिल्कोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
H S National Private ITI,  
Khanpur, Ghazipur  
Uttar Pradesh (PR09000630)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Rajaram Smriti National Private ITI,  
Chandpur, Khanpur, Ghazipur  
Uttar Pradesh (PR09000235)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Ram Pratap Adarsh Private ITI,  
Bahlolpur Tarwa Lalganj, Azamgarh  
Uttar Pradesh (PR09900623)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

  
(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Buddha Private ITI,  
Mirzabab, Todarpur, Mirzabad Ghazipur  
Uttar Pradesh (PR09001395)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**


महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय  


(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चंद्र)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Shri Raghav Private ITI,  
Mendu Sikandra Rao Hathras  
Uttar Pradesh (PR09001605)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रावे चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Smt. Vimla Singh Private ITI,  
Rampur Sardha, Faizabad  
Uttar Pradesh (PR09000358)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

**नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।**

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Shakti Private ITI,  
Bewana Ambedkar Nagar  
Uttar Pradesh (PR09000430)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

  
(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिलुकाटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Shanti Kamla Private ITI,  
Parmeth, Ghazipur  
Uttar Pradesh (PR09900660)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Baba Gajjan Das Pvt ITI,  
Jewel Ghazipur  
Uttar Pradesh (PR09900785)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलुकोटी)  
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
K L Private ITI,  
Mnikpur Jalesar Road Hathras  
Uttar Pradesh (PR09900384)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Rajdev Private ITI,  
Salempur Baghai, Ghazipur  
Uttar Pradesh (PR09901304)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिलुकाटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
K.D. Private ITI,  
Khanpur, Ghazipur  
Uttar Pradesh (PR09900821)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

  
(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिलुकोटी)  
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Ma Kali Adarsh Private ITI,  
Shishuapar Sadat Ghazipur  
Uttar Pradesh (PR09900823)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
New H.S. Private ITI,  
Ghazipur Azamgarh  
Uttar Pradesh (PR09900673)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Svm Private Iti Private ITI,  
Sarwan Alapur Ambedkar Nagar  
Uttar Pradesh (PR099101345)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलकुटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Kaka Shyamlal Pvt Iti Private ITI,  
Pal Chandrhan Tari Bada Gaon Ballia  
Uttar Pradesh (PR09001963)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलुवार्थी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Sri Giriraj Dhawan Private ITI,  
Mursan Hathras  
Uttar Pradesh (PR09001601)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Ram Pratap Shriram Private ITI,  
Khedhi Babuganj, Balipur, Dwarikaganj, Sultanpur  
Uttar Pradesh (PR09000978)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलुकाटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Babu Jagdish Singh Private ITI,  
Singera Kasimabad Ghazipur  
Uttar Pradesh (PR09901284)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Chandra Private ITI,  
Dahan Saidpur Ghazipur  
Uttar Pradesh (PR09900632)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**


महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय  
  
(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

**नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।**

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिलुकाटी)  
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Ram Ugrah Singh Private ITI,  
Station Road Jamalpur Mohamdabad, Gohna,  
Mau, Uttar Pradesh (PR09900697)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Ram Baran Singh Private ITI,  
Chauraha, Baraipur, Jaunpur  
Uttar Pradesh (PR09001653)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलकुटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Ramrati Dwarika Prasad Smarak Private ITI,  
Sonkhari Rampur Bhagan Bikapur Faizabad  
Uttar Pradesh (PR09900831)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Rajan Pvt ITI  
Basapur Ghazipur  
Uttar Pradesh (PR09000312)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Shri Mati Shanti Devi Audhogik Prasikshan Kendra  
Indawali Baldeo Mathura Private ITI,  
Mathura, Uttar Pradesh (PR09001319)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलकुटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Onkar Private ITI,  
Samedar Sadar Azamgarh  
Uttar Pradesh (PR09901265)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिलुकाटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Neelkanth College of Education Private ITI,  
Rehathi Trilochan Mahadev Post- Trilochan Bada Gaon,  
Jaunpur, Uttar Pradesh (PR09900391)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
R J Y PRIVATE ITI,  
Nasirpur Holipur Saidpur  
GHAZIPUR, Uttar Pradesh (PR09900739)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Shivam Private ITI,  
Navrasia Lalganj Azamgarh  
Uttar Pradesh (PR09001114)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Shree Prem Singh Mukhiya Ji Private ITI,  
Bhadar Sonkh Mathura  
Uttar Pradesh (PR09002082)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**


महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय  


(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Basmati Devi Private ITI,  
Bastiya Mahamood Dughra Uruwa Bazar  
Gorakhpur, Uttar Pradesh (PR09900723)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Kailash Smarak Private ITI,  
Near Yamuna Expressway Nagla Mattu Khandauli,  
Agra, Uttar Pradesh (PR09900412)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
TDS Private ITI,  
Mihrawan Jaunpur  
Uttar Pradesh (PR09900746)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Kamla Devi Memorial Vocational Private ITI,  
Purabux Rai Barua, Jalkai Tanda Ambedkar Nagar  
Uttar Pradesh (PR09001199)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Shri Mangla Singh Private ITI,  
Gorahara Udiyawan (Bardah)  
Azamgarh Uttar Pradesh (PR09900702)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Shree Vishwanath Singh Private ITI,  
Kundurkha Khurd Dyodhy Bazar,  
Faizabad Uttar Pradesh (PR09001379)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**


महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय  
  
(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिलकोटी)  
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Sri Sudhir Singh Private ITI,  
Devkhera Kumbha Firozabad  
Uttar Pradesh (PR09000637)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**


महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय  
  
(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिलुकोटी)  
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Vishwa Bharti Private ITI,  
F.C.I. Road Urvarak Nagar Gorakhpur  
Uttar Pradesh (PR09000834)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिल्कोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
MAHARANA PRATAP PRIVATE ITI,  
Mangoora Katwari AGRA  
Uttar Pradesh (PR09900198)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**


महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय  


(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
SHEELA DEVI PRIVATE ITI,  
Mutturjipur Shuwarjun GHAZIPUR  
Uttar Pradesh (PR09900973)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

(रवि चिल्कोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Sheela Devi Private ITI,  
Maturjipur Shuwarjun Ghazipur  
Uttar Pradesh (PR09900973)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**


महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय  


(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिल्लोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-0/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Kripal Singh Private ITI,  
Bara Samaspur Takhawan Etah  
Uttar Pradesh (PR09901287)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**


महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय  


(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिलुकाटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
SMT. PREMA TIWARI PRIVATE ITI,  
Pursayen Punhad Rasoolabad FAIZABAD  
Uttar Pradesh (PR09000371)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**


महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय  
  
(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिलुकुटी)  
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Maa Ananadmai Private ITI,  
Jajmau Railway Station, Saiya, Agra  
Uttar Pradesh (PR09001764)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
A. S. Private ITI,  
Bhankri- Khas, Aligarh to Delhi G.T. Road,  
Aligarh, Uttar Pradesh (PR09001431)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

25/3/2021  
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Sri Narbadeshwar Singh Private ITI,  
Rampur Sardha Faizabad  
Uttar Pradesh (PR09901328)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Krishna PRIVATE ITI,  
Pure Husain Khan, Sadar Faizabad  
Uttar Pradesh (PR09001834)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिल्लकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Ramdhari PRIVATE ITI,  
Vill. - NEVADA po. - BADHARIYA (SANJARPUR)  
AZAMGARH, Pin - 223227, Uttar Pradesh (PR09002039)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें

राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिल्कोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Kisan Pragati Sansthan PRIVATE ITI,  
Mundajafarpur Bhaduli Nizambad Rod, Azamgarh  
Uttar Pradesh (PR09001533)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

25/3/2021  
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Rammi Devi Mahila PRIVATE ITI,  
V+P-BAMNAULI, DIST-BAGPAT  
Uttar Pradesh (PR09001154)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलकोटी)  
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
MK PRIVATE ITI,  
Vill-Sonadeeh Post-Sonadeeh Tehsil-Belthra Road Dist-Ballya  
Uttar Pradesh (PR09900665)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलुकोटी)  
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Kalpanath PRIVATE ITI,  
VILL+POST-KASAUNDAR DIST-BALLIA  
Uttar Pradesh (PR09001162)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**


महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय  


(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिलुकाटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Rameshwar PRIVATE ITI,  
Vill Ruchchapar Baitalpur, Deoria  
Uttar Pradesh (PR09002040)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चक्रवर्ती)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Shri Shyam Lal Singh Private ITI,  
Beesoura Alampur Fatehpur Aligarh  
Uttar Pradesh (PR9000300)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**


महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय  


(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
MAHA LAXMI PRIVATE ITI,  
Tudla Etha Road Imliya, FIROZABAD  
Uttar Pradesh (PR09900551)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Baba Rishal Das Devnath Private ITI,  
Malethi, Gajpatpur, Baddhupur, Ghazipur  
Uttar Pradesh (PR09900424)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलुकाटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
JK PRIVATE ITI,  
Village Mahimapurdeeh, Navpedwa, Jaunpur  
Uttar Pradesh (PR09000969)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिलकुटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Sri Keenaram Private ITI,  
Village-Mahrev Purev, Jaunpur,  
Uttar Pradesh (PR09900751)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
R B S PRIVATE ITI PRIVATE ITI,  
Kurani Samadhganj, JAUNPUR  
Uttar Pradesh (PR09900555)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलुकोटी)  
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Maa Vimalesh Devi PRIVATE ITI,  
Tambaka Post Anora, MATHURA  
Uttar Pradesh (PR09001986)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
BABU RAM PRIVATE ITI,  
Vill Bhisaha Post Banpokhara, Mau  
Uttar Pradesh (PR09900948)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिल्लुकाटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Mathura PRATAP PRIVATE ITI,  
Vill-Gadava Po-Pahasa Distt-Mau  
Uttar Pradesh (PR09900108)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
SHRI RAMJI PRIVATE ITI,  
SULTANPUR, GHOSHI, MAU  
Uttar Pradesh (PR09900488)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिल्कोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,  
The Principal,  
SUSHIL MEMORIAL PRIVATE ITI,  
Vill: Kajha Khurd Po: Kajha Khurd Teh: Mohamma  
Mau-, 276403, Uttar Pradesh (PR09900055)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**


महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय  


(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिलुकाटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Prem Lata PRIVATE ITI,  
Vill-Ramapur, Post-Kohraud, Dist-Pratapgarh  
Uttar Pradesh - 230401. (PR09001753)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Ram Milan Singh Private ITI,  
Hansapur (Pandey Baba), Post- Paraspatti, Distt- SULTANPUR  
Uttar Pradesh (PR09001030)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Bright Sughra Devi Private ITI,  
mijhaura ambedkarnagar  
Uttar Pradesh (PR09001060)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

**नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।**

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिलुकाटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Chintamani SmarK PRIVATE ITI,  
BERUGANJ HATHIGO FAIZABAD  
Uttar Pradesh (PR09000908)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रावे चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
SRI RAM CHANDRAPRIVATE ITI,  
BERUGANJ BAZAR FAIZABAD  
Uttar Pradesh (PR09900619)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Janak Dulari Private TI,  
BARANV RAMPUR BHAGAN FAIZABAD  
Uttar Pradesh (PR09000402)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं ! जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है ।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए ।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए ।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश ।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है ।



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Babu Goverdhan Chand Bachcha Chand PrivateITI,  
ONAPAR BELGHAT GORAKHPUR  
Uttar Pradesh (PR09000445)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

25/3/2021  
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Babu Jangi Singh Durga Singh Private ITI,  
VILL AND POST - BARHYA CHOWK, PIPIGANJ GORAKHPUR  
Uttar Pradesh (PR09000531)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय




(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Dhanvantri PRIVATE ITI,  
Mauja Jalal NH-2, Farah, Mathura-281122  
Uttar Pradesh (PR09900876)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय




(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

**नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।**

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Guatam Buddh Private ITI,  
KASIA, KUSHINAGAR  
Uttar Pradesh (PR09000534)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय




(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Dharmdev Private ITI  
Kajha Khurd, Mau  
Uttar Pradesh (PR09001134)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Saraswati Private ITI  
Kumera Tiraya Saukh Mathura  
Uttar Pradesh (PR09000313)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Shri Ganesh Private ITI,  
Vill.- Thariya, Post - Utraon, ALLAHABAD  
Uttar Pradesh (PR09900985)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

**नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।**

**प्रति:-**

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रावें चिंदुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
MAA SHANTI PRIVATE ITI,  
Village Babuganj, ALLAHABAD  
Uttar Pradesh (PR09900954)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**


महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय  


(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Maa Bhagwati Private ITI  
Rewtipur, Ghazipur  
Uttar Pradesh (PR09001189)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**


महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय  
  
(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिलुकोटी)  
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Maa Gayatri Private ITI  
Sultanpur, Rampur Jeewan, Ghazipur  
Uttar Pradesh (PR09900362)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

25/3/2021  
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Srimati Kamla Devi Private ITI  
Paikoli Bazar, Ambedkarnagar  
Uttar Pradesh (PR09001314)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**


महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय  


(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

**नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।**

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,  
The Principal,  
Raya Private ITI  
Khirari Raya Mhavan, Mathura  
Uttar Pradesh (PR09001311)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
R.B.S. Private ITI  
Madora Mhavan Mathura  
Uttar Pradesh (PR09001370)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

**नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।**

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिन्दुगौरी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Poorvanchal Private ITI  
Amawa Lilapur Ghazipur  
Uttar Pradesh (PR09000221)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलुकाटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण



DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Shrivatsa Private ITI,  
Vill- Sisaur, Po- Sauram, Ghazipur  
Uttar Pradesh (PR09001396)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**


महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय  


(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
रवि कुमार

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,  
The Principal,  
Late Banshi Private ITI,  
Vill & Po- Alawalpur, Ghazipur  
Uttar Pradesh (PR09000605)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
GULABI BHIMAL PRIVATE ITI,  
Vill- Mainpur (Manikpur), Post- Mainpur, Ghazipur  
Uttar Pradesh (PR09900713)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,


निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिल्कोटी)  
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/36/2020-O/o DIR (TC)  
भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,  
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,  
दिनांक- 25.03.2021

To,

The Principal,  
Mo. Saquib Private ITI,  
GORABAZAR GHAZIPUR  
Uttar Pradesh (PR09000502)

**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**


महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2802/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता / 2020 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक- 2899/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2020 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा भेजे गए पत्र इस महानिदेशालय को प्राप्त हुए हैं। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु कूटरचित अभिलेख : (नकली बैंक गारंटी) जमा करायी गयी है, अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 09.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब [chauhan.bs68@gov.in](mailto:chauhan.bs68@gov.in) पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय  


(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

  
(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण